Annexure 1 to 4

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

(कल्याण शाखा)

दिनांक 18.10.2017 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–33 के विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत आयोजित होनेवाली जिला वनाधिकार समिति की बैठक में वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकारहै :–

उपस्थिति :–

1. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
3. उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रिय निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।
4. जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
5. श्रीमती आरती सामद, जिला परिषद् सदस्या, घालभूमगढ़ ।
6. श्रीमती देबयानी मुर्मू, जिला परिषद् सदस्या, घाटशिला ।
7. श्री सत्यवान नायक,जिला परिषद् सदस्य, बहरागोड़ा ।

कार्यवाही–सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–913/क०, दिनांक–19.06.2017 द्वारा जमशेदपुर अंचलान्तर्गत मौजा–भागाबांध, पिपला, कस्तुलिया, लुआबासा, घोड़ाबांधा, धानचटानी एवं खाखरीपाड़ा में चाँदनी चौक से घोड़ा बांधा गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ (घोड़ा बांधा लिंक पथ सहित) निर्माण कार्य हेतु वन भूमि अपयोजन के लिये अनापति प्रमाण पत्र हेतु वन अधिकार समिति की बैठक आहुत कर कार्यवाही भेजने हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल जमशेदपुर का पत्र संख्या–1089, दिनांक–26.05.2017 को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। इस आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, अनुमण्डल वन अधिकार समिति, धालभूम/जमशेदपुर का पत्रांक–956/सा०, दिनांक–23.08.2017,

देवयानी मुर्मू 18/10/2017

Satyaban Nayak 18/10/17

Executive Engineer
R. C. D.
Road Division, Jamshedpur

Annexure -2

(2)

पत्रांक–1001/सा०, दिनांक–07.09.2017 एवं पत्रांक–1133, दिनांक–16.10.2017 से अनुमण्डल वन अधिकार समिति, धालभूम/जमशेदपुर की बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायी गई है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	मौजा का नाम	थाना संख्या	गांव का नाम	भूमि विवरणी	प्लॉट संख्या	वन क्षेत्र रकबा (एकड़ में)
1	गोलमुरी कम जुगसलाई	1208	पिपला	R/Forest	RF	3.40
					Sub-Total in Pipla Village (एकड़ में)	**3.40**
					क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	**1.38**
2	गोलमुरी कम जुगसलाई	1206	कस्तुलिया	Jangal/Jhadi	213	0.18
				Jangal/Jhadi	118	0.02
				Jangal/Jhadi	119	0.10
				P/Forest	PF	5.18
					Sub-Total in Kastuliya Village (एकड़ में)	**5.48**
					क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	**2.22**
3	गोलमुरी कम जुगसलाई	1292	लुवाबासा	Forest	302	4.15
				Forest	1	2.86
				Forest	49	3.84
				Forest	252	3.96
				Forest	591	0.18
				Forest	595	0.36
				Forest	584	0.20
				Forest	592	0.02
				Forest	594	0.20
				Forest	547	0.60
				Forest	876	0.46
				Forest	590	0.01
					Sub-Total in Luvabasa Village (एकड़ में)	**16.84**
					क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	**6.82**
4	गोलमुरी कम जुगसलाई	1195	घोड़ाबांधा	Forest	1047	2.46
				Jangal/Jhadi	1046	0.10
				Forest	1069	0.05
				Forest	1070	2.90
				Jangal/Jhadi	1012	0.19

देवयानी मुर्मू 18/10/2017   Satya bom Nayak 18/10/17

Executive Engineer
R. C. D.
Division, Jamshedpur

Annexure - 3

(2)

				Forest	428	0.17
				Forest	976	0.17
				Jangal/Jhadi	429	0.09
					Sub-Total in Ghorabandha Village (एकड़ में)	**6.13**
					क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	**2.48**
5	गोलमुरी कम जुगसलाई	1294	धानचटानी	P/Forest	95	0.37
				Jangal/Jhadi	46	0.48
				P/Forest	1	5.10
					Sub-Total in Dhanchatani Village (एकड़ में)	**5.95**
					क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	**2.41**
6	गोलमुरी कम जुगसलाई	1195	खाखरीपाड़ा	P/Forest	1	5.07
				P/Forest	24	0.36
					Sub-Total in Khakhripara Village (एकड़ में)	**5.43**
					क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	**2.20**
7	गोलमुरी कम जुगसलाई	1209	भागाबांध	R/Forest	RF	1.25
				P/Forest	481	0.40
					Sub-Total in Bhagabandh Village (एकड़ में)	**1.65**
					क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	**0.67**
					अपयोजित वन भूमि का कुल रकवा	**44.88 एकड़**
					क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	**18.18**

पिपला मोड़ (एन0एच0–33) घोड़ाबांधा–गोविन्दपुर अन्ना चौक पथ (घोड़ाबांधा लिंक पथ सहित) निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of right की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

अपयोजन के लिए उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित समस्त वन भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनिमय, 2006 के अन्तर्गत अधिकारों के पहचान और निपटान के लिए पूरी प्रक्रिया समाप्त की गई।

उपरोक्त वर्णित वन भूमिका अपयोजन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ई) के अनुसार आदिम जनजातीय समूहों तथा आदिम कृषक समुदाय के अधिकारों की विशेष रूप संरक्षित की गईहै।

देवयानी 18/10/17 Satyabam Nayak 18/10/17

Executive Engineer
R. C. D.
Road Division, Jamshedpur

Annexure – 4

उपरोक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा **44.88** एकड़ वन भूमि अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया ।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

श्रीमती आरती सामद, जिला परिषद् सदस्या, घालभूमगढ़ ।	देबयानी मुर्मू 18/10/2017 श्रीमती देबयानी मुर्मू, जिला परिषद् सदस्या, घाटशिला ।	Satyaban Nayak 18/10/17 श्री सत्यवान नायक, जिला परिषद् सदस्य, बहरागोड़ा ।

18/10/17 जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।	उप वनसंरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, गज परियोजना पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	18/10/17 वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल, जमशेदपुर ।	18.10.17 उपायुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर।

18/10/17

Executive Engineer
R. C. D.
Road Division, Jamshedpur